

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ( )तक०/उवसं/कोटा/2020/ 1927

दिनांक : 10.03.21

निमित्त:-

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा।

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the central Government under forest (Conservation Act, 1980 for non forestry use forest land for diversion of 700.347 Ha. Of forest land in favour of executive, WR Division Kota for Navnera Barrage across River Kalisindh Near Village Abra Tehsil Digod District, Kota (Rajasthan) under eastern Rajasthan (Online proposal No FP/RJ/IRRIG/35905/2018). -Reg.

प्रसंग :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक File No. 8-28/2020 दिनांक 03.02.2021 एवं अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन कोटा के पत्रांक 1032 दिनांक 15.02.2021 एवं पत्रांक 1056 दिनांक 16.02.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक File No. 8-28/2020 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है :-

S.No.	Observation	Compliance
1	The extent of forest area as per submitted kml/shape files is 648.93 has whereas the Proposal is for diversion of 700.347 ha. Therefore, complete. Kml/shape file of the proposed diversion i.e. for 700.347 ha is to be uploaded on the Parivesh Portal.	प्रस्तावित वन भूमि 700.347 हेक्टेयर की KML प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुधार कर दी गयी है एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है एवं Kml File सॉफ्ट कॉपी में पेन ड्राइव में भी प्रदान की गयी। <b>संलग्न- Annexure-I</b>
2	The proposal forest land for diversion falls Under the "Inviolable" category as per the Decision Support system (DSS) Rule-1 due to the Existence of the Rare forest type which implies that part of proposed diversion includes portion of one of the last remnants of forest types is having total extent < 50 Sq. Km in the country. The State Govt. in consultation with the forest Survey of India, Dehradun may explore the possibility to Exclude portion last remnant forest type from the present proposal,	परियोजना हेतु प्रस्तावित कुल वन भूमि 700.347 हेक्टेयर में से कोटा जिले की प्रस्तावित वन भूमि 580.938 हे. क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सुल्तानपुर का पत्रांक 274 दिनांक 05.03.2021 अनुसार कुल 4420 वृक्षों में से 4355 वृक्ष प्रोसोपिस जूलीफलोरा के हैं जो की कुल वृक्षों का 98.7 प्रतिशत है व क्षेत्रीय वन अधिकारी, इटावा का पत्रांक 136 दिनांक 08.03.2021 के अनुसार कुल 9783 वृक्षों में से 9690 वृक्ष प्रोसोपिस जूलीफलोरा के हैं जो की कुल वृक्षों का 99.04 प्रतिशत है। इस प्रकार कोटा जिले की परियोजना में प्रस्तावित वनक्षेत्र में प्रभावित कुल वृक्षों की संख्या 14203 है। जिसमें से 14045 वृक्ष प्रोसोपिस जूलीफलोरा प्रजाति के हैं, जो कि कुल वृक्षों का 98.90 प्रतिशत है। शेष वृक्ष अत्यंत नगण्य तथा किसी भी प्रकार की संकटग्रस्त प्रजाति के नहीं हैं तथा डूब में आ रही वनभूमि ravines प्रकृति की है। प्रोसोपिस जूलीफलोरा इस क्षेत्र में मृदा संरक्षण का कार्य करता है। ravines को stable करने का कार्य करता है।

3	Out of proposed Compensatory Afforestation patches, 103 Ha. area of village namely Nachana Khera & Bhilot falls in the Protected Forest (PF) as per the DSS records, which needs to be excluded from the proposed CA. As per the Google earth imagery some portion of the CA patches proposed under the villages namely Bara (patch-1) Bara (patch-11) Guraytha ( patch-V) are falling within the river. Accordingly, the CA patches need revisit and revised CA patches commensurate to proposed diversion with site suitability certificate and Complete shape file shall be submitted. CA scheme would also need revision as per revised CA patches.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की गयी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि को मौके स्थल पर विधिवत निरीक्षण के उपरांत वन विभाग के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही की गयी है। सर्वेयर, कार्यालय हाजा की रिपोर्ट अनुसार आवंटित राजस्व भूमि ग्राम भिलोत वन विभाग के रेकोर्ड एवं मौका स्थितिनुसार वनभूमि नहीं है एवं ग्राम गुरायता व बरां की आवंटित भूमि नदी के डूब क्षेत्र से बाहर है एवं सुधार कर KML फाईल को पुनः परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित राजस्व भूमि में से ग्राम गोपालपुरा, सिंहपुरा एवं भिलोत की राजस्व भूमि 222.328 है० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना संभव है। शेष 358.61 है० आवंटित राजस्व भूमि पर नवीन वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में उक्त आवंटित राजस्व भूमि पर सघन विलायती बबूल (प्रोसोपिक ज्यूलीफ्लोरा) होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण संभव नहीं है। उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। <b>संलग्न- Annexure-II</b>
4	The Proposal is without approved catchment Area Treatment (CAT) Plan.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमोदित CAT प्लान संलग्न किया गया है। <b>संलग्न- Annexure-III</b>
5	Approved DPR of the project need submission	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमोदित DPR संलग्न किया गया है। <b>संलग्न- Annexure-IV</b>
6	The user agency at Part-I (M) (II) has mentioned that the command area is zero which need Clarification.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की गयी टिप्पणी संलग्न है। <b>संलग्न- Annexure-V</b>

अतः प्रस्ताव को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक  
कोटा

क्रमांक एफ( )तक०/उवसं/कोटा/2020/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय देहरादून को लेख कर बिन्दु क्रमांक 2 के अनुरूप DSS में सुधार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित (प्रस्तावित स्थल की KML फाईल संलग्न) है।
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां (राज०)।

उप वन संरक्षक  
कोटा



**OFFICE OF THE DY. CONSERVATION OF FOREST, KOTA**

**:-Land suitability certificate for Compensatory Afforestation:-**

Identification of 580.938 ha Non forest land in Villages Gopalpura, Singhpura, Bhilot, Gurayata, Vijaypur, Borinakhurd & Bara for compensatory Afforestation against the forest diversion proposal of 580.938 ha for construction works for the development of **NAVERA BARRAGE ACROSS RIVER KALISINDH NEAR VILLAGE ABRA TEHSIL DIGOD, DIST. KOTA PROJECT (RAJ.)** Identification of 222.328 ha Non forest land in Village Gopalpura, Singhpura and Bhilot is suitable for compensatory Afforestation in all respect. However, Remaining NFL(358.61) not suitable for plantation because crown density of Prosopis juliflora is very high. The juliflora is preventing soil erosion on the bank of the river. So, This should not be removed to safeguard the soil on the banks & ravines of river. The remaining land DFL of (358.61) Ha, **Range Modak** Block Namely Budhkhan, Gadiya-A, Mahuakhal-A, Mahuakhal-B), **Range Mandana** Block name Shankerpura Dadwara V, Shankepura Dadwara IV, Badodiya II Block Forest Land) is taken for Compensatory Afforestation purpose (under classes Govt. of India ministry of Environment forest and climates change of ref no F.No. 11-423/2011-FC Date 20.04.2019)

The details of suitability of land with Coordination of identified land for Compensatory Afforestation are as below-

1. Effective protection can be performed.
2. Site is workable and presently free from any type of encroachment and all incumbencies.
3. Watchman adequately available around the area.

Place : Kota

Date : 10/2/2021

  
(Signature)

Name

Designation

Official Seal

..Ravi Kumar Meena  
...D.C.F. ...Kota  
उप वन संरक्षक  
कोटा